The 8th April, 1985

No. 6314.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed by the Government at the public expense, for a public purpose, namely, for constructing New Brah Khurd Minor from R.D. 0 to RD. 4950 Tail in Villages Brah Kalan and Lakhmir Wala of Tehsil Jind in District Jind.

It is hereby notified that land in the locality below is required for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, for information of all to whom it may be concerned.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the officers of the Irrigation Department, with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may, within a period of thirty days of the Publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, Public Works Department, Irrigation Branch, Ambala.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Public Works Department, Irrigation Branch, Ambala and Executive Engineer, Jind Division, Western Jamuna Canal, Jind.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Name of Village	Area in acres	Boundary
				A strip of land 4950 feet in length and varying in width generally lying North to South as per demarcated at site and shown on Index Plan passing through the field Numbers as under :-
Jind	Jind	Brah Kalan	2.07	33 — 13, 18, 23, 14, 17, 24; 34 — 3, 4/1 4/2, 7/1, 8/2, 8/1, 14/1, 14/2, 7/2, 24, 17/2.
Jind	Jind	Lakmirwala	3.74	6 — 17, 24; 16 — 4/1, 7/2, 7/1, 4/2, 14, 17, 13, 18, 23/1, 23/2; 19 — 2, 3, 8, 9, 12/2/1, 12/2/2, 19, 20, 21, 22; 31 — 1, 2, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 19, 20, 21/1, 21/2, 22; 34 — 1, 2, 9/1, 9/2, 10, 11/2.

Certified that all the field numbers falling in land proposed to be acquired for this work have been shown above.

Agenda and Corrigenda

Agenda and Corrigenda to notification issued under section 4 (17) (Q) (C),—*vide* No. 21181/30/1-L, dated 2nd December, 1981 and declaration under section 6 issued, *vide* No. 24073-76/30/1-L, dated 23rd December, 1981 for constructing Extension of Gujrani Minor from RD 88000 to RD 90000 in village Bairan in Tehsil and District Bhiwani.

The following Killa/Khasra Nos. may also be read along with Killa Khasra Nos. as have already been published under the above notification and declaration :—

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Village	Hadbast Number	Rectangle Number	Field Nos.
Bhiwani	Bhiwani	Bairan	2	126	3
				Path	689

Certified that :

(i) that alignment laid at site is as per approved alignment.

(ii) there is no change in the area already notified.

(iii) the fields No. as given above have been verified by me from the Revenue record which are correct and no further amendment is required.

(iv) there is no religious building, Church, Tomb, Tample and Graveyard, etc. in the said land.

By the order of Governor of Haryana.

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,
Western Jamuna Canal West Circle.
Rohtak.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 6 मार्च, 1985

सं. ओ.वि./अम्बाला/29-85/8860.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मारकण्डा वनस्पति मिल्ज़ लि०, शाहबाद मारकण्डा, के श्रमिक श्री सत्य पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सत्य पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./पानीपत/112-84/8866.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० सुपर सील इण्डिया कुंजपुरा रोड, करनाल, के श्रमिक श्री संजीव कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री संजीव कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ.वि./यमुनानगर/20-85/8879.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. जय फौर्जिंग एण्ड स्टैम्पिंग प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र यमुनानगर के श्रमिक श्री राम कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44) 84-3 श्रम. दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राम कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./यमुनानगर/5-85/8885.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० जगाधरी को०ओ० मार्केटिंग प्रोसैसिंग सोसायटी लि०, जगाधरी के श्रमिक श्री धर्म पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री धर्म पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं.ओ. वि./यमुनानगर/49-85/8891.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. जय फोरजिंग एण्ड स्टैम्पिंग प्रा० लि०, उद्योगिक क्षेत्र, यमुनानगर के श्रमिक श्री रिचर्डसनी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)-84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा

मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री [illegible] की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 12 मार्च, 1985

सं. ओ वि./फरीदाबाद/10-85/9[illegible]30.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) गुडईयर इण्डिया लि० बल्लभगढ़ (2) [illegible] ट्रेडर्ज, [illegible] 40, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री विजय कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ,

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 54[illegible]–3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० [illegible]495–जी-श्रम-5[illegible]/[illegible]2[illegible]5 दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री विजय कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/फरीदाबाद/10-85/9[illegible].—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० गुडईयर इण्डिया लि० बल्लभगढ़ (2) मैं० पुजा ट्रेडर्ज, [illegible] फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अमर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415– –श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495–जी–श्रम–58–श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है:—

क्या श्री अमर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./पानीपत/[illegible]/94[illegible].—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड चण्डीगढ़ (2) कार्यकारी अभियन्ता सिटी डिविजन, एफ० एस० इ० बी० गोहाना रोड पानीपत के श्रमिक श्री हबीब तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इनमे इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3[illegible]/84–[illegible]–श्रम दिनांक 10 अप्रैल, 198[illegible] द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हबीब की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ. वि./पानीपत/28–84/9474.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड चण्डीगढ़ (2) कार्यकारी अभियन्ता सिटी डिविजन1 एफ० एस० इ० बी० गोहाना रोड पानीपत के श्रमिक श्री राम शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84 3–श्रम दिनांक 10 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री चेत राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ।

सं० ओ०वि०/पानीपत/28–84/94— —चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ । (2) कार्यकारी अभियन्ता सिटी डिविजन एच. एस. ई. बी. गोहाना रोड़, पानीपत, के श्रमिक श्री प्रेम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84–3–श्रम दिनांक 10 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रेम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./पानीपत/28-84/9488.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि सचिव हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ । (2) कार्यकारी अभियन्ता सिटी डिविजन, एच. एस. ई. बी. गोहाना रोड़, पानीपत, के श्रमिक श्री कंवर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 10 अप्रैल 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री कंवर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./पानीपत/28-84/9495.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ । (2) कार्यकारी अभियन्ता सिटी डिविजन एच. एस. ई. बी. गोहाना रोड़, पानीपत, के श्रमिक श्री जय भगवान तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84–3–श्रम, दिनांक 10 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री जय भगवान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?